DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS— दैनिक जागरण नई दिल्ली, 16 फरवरी, 2024 TED----------

अधर में लैंड पूलिंग योजना, फिर खुला पंजीकरण

संजीव गुप्ता • नई दिल्ली

सवा पांच साल से अधर में लटकी दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की महत्वाकांक्षी लैंड पूलिंग योजना के लिए एक बार फिर पंजीकरण खोल दिया गया है। डीडीए ने एक नोटिस जारी कर कहा है कि लैंड पूलिंग नीति 2018 के तहत किसान और भू स्वामी आगे आएं एवं दिल्ली के विकास में साझीदार बनें। 105 गांवों में आवेदन करने के लिए विंडो 30 अप्रैल 2024 तक 90 दिनों की अवधि के लिए खुली रहेगी।

लैंड पूलिंग के तहत अब तक लगभग 7,510 हेक्टेयर भूमि पंजीकृत की जा चुकी है और 15 सेक्टरों के लिए कंसोर्टियम (किसानों और भू स्वामियों के समूह) के गठन के लिए अंतरिम नोटिस या नोटिस जारी किए जा चुके हैं। इनमें से लैंड पूलिंग नीति के अंतर्गत जोन पी 2 के सेक्टर 8 में एक कंसोर्टियम का गठन किया जा चुका है। मामलों को हल करने और भू स्वामियों को आवेदन प्रस्तुत करने में सहायता के उद्देश्य से पीतमपुरा टीवी टावर स्थित उपनिदेशक लैंड पूलिंग कार्यालय डीडीए में एक हेल्प डेस्क भी स्थापित किया गया है।

तैयार नहीं हो रहे बिल्डर : समस्या यह है कि डीडीए को जमीन तो मिल रही है, लेकिन इस पर फ्लैट तैयार करने के लिए बिल्डर नहीं मिल रहे। बिना बिल्डरों के नीति पर काम बढ़ाना मुश्किल है क्योंकि बिल्डरों को ही किसानों का संघ बनाकर उनकी जमीन को मिलाना है एवं उस पर निर्माण कार्य शुरू करना है। ऐसे में डीडीए ने खुद ही इस पालिसी को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया लेकिन बाद में देखा गया कि जिन सेक्टरों में काम किया जाना है, वहां अभी और जमीन चाहिए। इसलिए पंजीकरण प्रक्रिया दोबारा से प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया।

कुछ दिनों में और बदलेगी स्थिति : डीडीए अधिकारियों को उम्मीद है कि अगले 74 दिनों में और भी अनेक किसान- भू स्वामी इसका हिस्सा बन जाएंगे। इसके बाद इन जोनों के लिए जमीन का पंजीकरण कराने वाले किसानों के साथ डीडीए अधिकारी बैठक करेंगे। उनकी उलझनों का जवाब देंगे, उन्हें और उनकी जमीन को आपस में मिलाएंगे।

105 गांवों में आवेदन करने को विंडो 30 अप्रैल तक खुली रहेगी

74 दिनों में और भू स्वामी योजना का हिस्सा बनेंगे, ऐसी उम्मीद

पांच जोन में बंटी है नीति

11 अक्टूबर 2018 को अधिसूचित और पांच जोनों एन, पी टू, के वन, एल और जे में बांटी गई इस पालिसी को करीब एक सौ सेक्टरों में बांटा गया है। यह जोन 20 से 22 हजार हेक्टेयर जमीन पर विकसित होंगे।

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली। शुक्रवार,16 फरवरी 2024

गाज़ीपुर: कहने को ही ये पार्क हैं, कचरा, गोबर, कबाड़ सब है यहां

यहां की जनता कॉलोनी के कई पार्कों में हैं अवैध कब्जे

■ राम त्रिपाठी, गाजीपुर

पार्कों में हरियाली की जगह हर तरफ गंदगी ही नजर आती है

डीडीए की गाजीपुर डेयरी फार्म जनता कॉलोनी में 926 फ्लैटों के बीच 11 पार्क हैं, लेकिन एमसीडी के अंडर आई इस कॉलोनी के पार्कों की कई साल से मेंटिनेंस नहीं हुई है। इतना ही नहीं पार्कों में हो रहे अवैध कब्जों से भी एमसीडी शायद बेखबर है। इन पार्कों की बाउंड्री आदि भी गायब है।

कॉलोनी के 11 पार्कों में से एक में भी घास नहीं है। हरियाली के नाम पर कुछ पार्कों में पुराने पेड़ जरूर हैं। कई पार्कों में तो भी नहीं हैं। कई साल पहले 4 पार्कों में लोहे के झूले आदि जरूर लगे थे, जो मेंटिनेंस नहीं होने से टूट कर कबाड़ हो गए हैं। लगभग सभी पार्कों में गंदगी का राज है। 3 से अधिक पार्कों में बकायदा रोज कूड़ा डाला जाता है। उनमें इस समय कई टन कूड़ा पड़ा हुआ है।

कई साल पहले पार्कों में झूले लगे थे, जो मेंटिनेंस नहीं होने से कबाड़ हो गए हैं

पार्कों में किया कब्जा : D ब्लॉक के 2 पार्कों में अवैध रूप से डेयरियां चल रही हैं। मवेशियों के साथ गोबर व गंदगी वहां साफ तौर पर देखी जा सकती है। D और E ब्लॉक के पार्कों में कबाड़ियों का कब्जा है। वहां हरियाली नहीं, बल्कि भारी मात्रा में कबाड़ पड़ा हुआ है। निवासी सलीम ने बताया कि C ब्लॉक के एक बड़े पार्क में प्राइवेट ताला लगा हुआ है। कॉलोनी के एक दमदार आदमी ने पार्क के गेट पर अपना ताला लगा रखा है। उसका कहना है कि पार्क की जमीन उसकी संपत्ति है।

लोगों ने बताया कि 8-10 साल पहले तक पार्कों की इतनी बुरी हालत नहीं थी। एमसीडी ने पार्कों पर ध्यान देना बंद किया तो ये पार्क स्वास्थ्य के लिए नहीं बल्कि बीमारी देने के लिए बन गए हैं। पार्कों की स्थिति सुधारने के लिए एमसीडी से कई बार शिकायत की गई, लेकिन एमसीडी अधिकारियों की लापरवाही के कारण लोगों ने अब शिकायत करना ही बंद कर दिया है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

Hindustan Times RS---------- * THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI FRIDAY, FEBRUARY 16, 2024 D----------

'Coaching hubs can't be in residential building'

Shruti Kakkar
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: The Delhi high court on Thursday ordered that coaching institutes with more than 20 students should not operate in residential buildings even as it refused to stay a Delhi Development Authority (DDA) 2020 notification which includes coaching centres into the definition of educational buildings under the Unified Building Bye Laws (UBBL) for Delhi 2016.

"You should not be in a residential building and you should move to a commercial building now... 2020 notification you cannot stay now. You're not supposed to be operating from residential areas. Where students are more than 20, you must move out. Today coaching institutes have more students than educational institutions," a bench led by acting chief justice Manmohan said to advocate Rajeshwari Hariharan who appeared for the Coaching Federation of India.

A bench also comprising justice Manmeet Pritam Singh Arora instead tagged the petition filed by CFI seeking to quash the 2020 notification with another petition by the body wherein the court had taken suo moto cognisance of the fire that had broken out in a coaching centre in the Mukherjee Nagar area in north Delhi in June last year.

No coaching centre with 20+ students in residential areas: HC

New Delhi: Delhi High Court on Thursday said coaching centres that have over 20 students should move out of residential areas and operate from commercial spaces.

The bench of acting chief justice Manmohan and justice Manmeet PS Arora said this while hearing a petition filed by the Coaching Federation of India. Students "run the risk of their lives" at coaching centres operating from residential buildings that do not have requisite safety measures, such as two staircases, it said.

"There must be hundreds of students attending your classes. You should not be in a residential building. Move to a commercial building.... Where students are more than 20, you must move out," the bench told the federation which has challenged the inclusion of coaching centres in the definition of "educational buildings", thus requiring them to have specific fire safety measures.

In Feb 2020, DDA modified its Unified Building Bye Laws-2016, including coaching centres in the definition of "educational buildings". The federation said the notification must go. The bench directed that the plea be listed for Friday before another bench, and said it cannot stay a notification from 2020. TNN

हिन्दुस्तान

रिहायशी क्षेत्रों में न चलें 20 से ज्यादा छात्र वाले कोचिंग सेंटर: कोर्ट

अदालत से

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि 20 से अधिक छात्रों वाले कोचिंग संस्थानों को रिहायशी इलाकों से हटाया जाना चाहिए। इनका संचालन वाणिज्यिक परिसरों में किया जाए।

कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (सीएफआई) की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। पीठ ने टिप्पणी की कि रिहायशी इमारतों से संचालित हो रहे कोचिंग संस्थान छात्रों के जीवन को खतरे में डालकर चल रहे हैं। अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि आपकी कक्षाओं में सैकड़ों छात्र पढ़ रहे होंगे। आपको आवासीय भवन में नहीं होना चाहिए। किसी व्यावसायिक भवन में चले जाएं। अदालत ने कहा कि आप रिहायशी इलाके से संचालन नहीं कर सकते। याचिकाकर्ता ने अदालत के समक्ष 'शैक्षिक भवनों' की परिभाषा में कोचिंग संस्थानों की इमारत को शामिल करने पर आपत्ति जताई थी।

नई परिभाषा के तहत ऐसी इमारतों में अग्नि सुरक्षा आदि के लिए कुछ विशिष्ट उपायों को अपनाने की आवश्यकता होती है। फरवरी 2020 में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपने एकीकृत भवन उपनियम-2016 (यूबीबीएल-2016) को संशोधित किया। इसमें 'शैक्षिक भवनों' की परिभाषा में कोचिंग संस्थानों की इमारत को भी शामिल किया गया।

2020 की अधिसूचना पर रोक नहीं लगा सकते: उच्च न्यायालय

- वाणिज्यिक परिसरों में संचालन करने को कहा

मुखर्जी नगर में 150 से ज्यादा संस्थान चल रहे

दिल्ली में अधिकतर कोचिंग सेंटर रिहायशी इलाकों में ही चल रहे हैं। अगर हाईकोर्ट का फैसला इनके खिलाफ आता है तो काफी असर पड़ेगा। अभी वर्तमान में मुखर्जी नगर में 150 से अधिक कोचिंग सेंटर हैं। इसके अलावा, मुनिरका, लक्ष्मी नगर, बेर सराय सहित राजधानी के तमाम आवासीय इलाकों में सैकड़ों कोचिंग संस्थान मौजूद हैं।

अधिसूचना पर रोक नहीं लगा सकते

अदालत ने निर्देश दिया कि याचिका को कोचिंग सेंटरों में अग्नि सुरक्षा के मुद्दे से निपटने वाली एक अन्य खंडपीठ के समक्ष शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए। अदालत ने कहा कि हम 2020 की अधिसूचना पर रोक नहीं लगा सकते। इसमें मानव जीवन शामिल है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि यूबीबीएल के तहत, शैक्षणिक संस्थानों को दो सीढ़ियां और एक खेल का मैदान जैसी कई सुविधाओं की आवश्यकता होती है, जो पहले से मौजूद आवासीय भवन में संभव नहीं हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि कोचिंग सेंटर और शैक्षणिक संस्थान के बीच अंतर है क्योंकि शिक्षण संस्थान पाठ्यक्रम के अंत में डिग्री या डिप्लोमा प्रदान करता है।

टिप्पणी के बाद छात्रों को चिंता सताई

मुखर्जी नगर में पढ़ने वाले छात्र कोर्ट की टिप्पणी के बाद चिंतित हैं। उनका कहना है कि वाणिज्यिक स्थानों पर यदि कोचिंग संस्थान जाएंगे तो छात्र सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। एक कोचिंग में पढ़ाई कर रहे छात्र रजनीश का कहना है कि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि कोचिंग संस्थान कब दूसरी जगह जाएंगे। कोचिंग संस्थान यहां से हटते हैं तो इससे आर्थिक बोझ बढ़ेगा। वाणिज्यिक स्थान के आस-पास के क्षेत्र भी मंहगे होंगे। जीटीबी नगर स्थित एक कोचिंग में पढ़ने वाले छात्र अमरीश का कहना है कि हमें खुशी है कि अदालत छात्रों की समस्या को लेकर गंभीर है, लेकिन इसका समाधान निकाला जाना जरूरी है। वर्तमान में जो कोचिंग चल रही है उनमें भी व्यापक सुधार किया जा सकता है, ताकि छात्रों को परेशानी न हो। कई ऐसे छात्र हैं जिनकी परीक्षाएं मई या जून में होने वाली हैं।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । शुक्रवार, 16 फरवरी 2024

छोटी मोटी मरम्मत के बावजूद बिल्डिंग के अधिकांश पिलरों में आ गया है क्रैक

रीडिवेलपमेंट के अभाव में जर्जर बिल्डिंग में रहने को मजबूर लोग

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

मेट्रो ट्रेन शुरू होने से जहां क्षेत्र के लोग खुश होते है वही रोहिणी सेक्टर-8 के पॉकिट बी-5 के विवेकानंद अपार्टमेंट के लोग चिंतित है। रीडिवेलपमेंट प्लान के सीरे न चढ़ पाने की वजह से यह अपार्टमेंट जर्जर हो चुका है। बिल्डिंग की छोटी-मोटी मरम्मत के बावजूद मुख्य बिल्डिंग के अधिकांश पिलरो मे क्रैक है। लोगो को चिंता है कि अपार्टमेंट के पास ही मेट्रो कॉरिडोर तैयार हुआ है। जैसे ही इस रूट पर मेट्रो शुरू होगी तो यहां के फ्लैट इससे होने वाले कंपन को कैसे सह पाएंगे? डीडीए के इस पॉकिट मे 400 फ्लैट्स है। यह सभी फ्लैट्स सेल्फ फाइनेंस स्कीम (एसएफएस) टाइप-टू के है। यह 1984-86 मे बनकर तैयार हुए थे और 1988-89 मे इन्हें अलॉट किया गया था। फ्लैट्स की हालत काफी खराब है। सुविधाओ के नाम पर इनमे कोई यूटिलिटी सर्विस नही है। न लिफ्ट है न कम्युनिटी हॉल न क्लब हाउस। बल्कि वायरिंग, पाइपलाईंस की हालत काफी खराब हो चुकी है।

पॉकिट्स के रजिडेंट्स के मुताबिक कॉमनवेल्थ गेम्स के आसपास 2010 मे डीडीए के तत्कालीन वाइस चेयरमैन बलवीर कुमार ने विवेकानंद अपार्टमेंट की मैनटिनेंस के लिए 50 लाख रुपये सैंक्शन किए थे। उस समय डीडीए की एक टीम ने यहां सर्वे किया था। सर्वे मे यह सामने आया था कि इस बिल्डिंग को तुरंत मैनटिनेंस की जरूरत है। लेकिन बाद मे किसी वजह से इस फंड का इस्तेमाल नही हो पाया। इसके बादे से बिल्डिंग की हालत और खराब होती चली गई। लोगो के अनुसार रेजिडेंट्स ने बिल्डिंग के मेन स्ट्रक्चर के अलावा कई जगह पर अपना निर्माण कर लिया है। इसकी वजह से मुख्य स्ट्रक्चर पर काफी अधिक दबाव है। इस अपार्टमेंट मे लिफ्ट नही है और सीढ़ियो पर कई जगह स्ट्रक्चर कमजोर हो चुका है। बिल्डिंग के कई फ्लैट्स तो ऐसे है जहां यदि आग लग जाए तो फायर बिग्रेड की गाड़ी तक नही पहुंच सकती। लोगों के अनुसार बीते एक साल मे करीब तीन ऐसे हादसे हो चुके है जब बिल्डिंग के हिस्से गिर चुके है। झड़ती बिल्डिंग मे लोग अपने लैंटर को भी तोड़कर दोबारा बनवा रहे है। कई जगह पर बिल्डिंग को गिरने से बचाने के लिए गार्टर लगाया गया है।

NBT कायापलट
मकान वही, सूरत नई

1984-86 में बनकर तैयार हुआ था विवेकानंद अपार्टमेंट

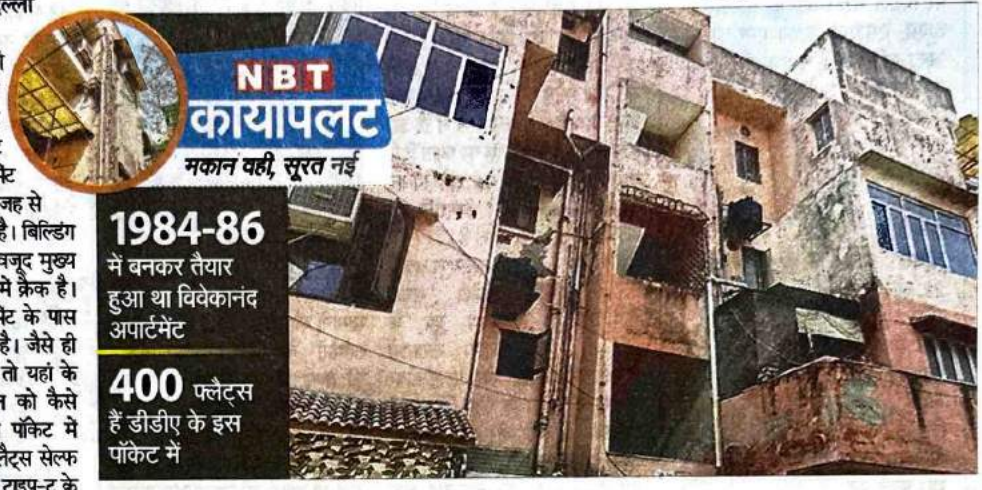

400 फ्लैट्स हैं डीडीए के इस पॉकेट में

लोगों की मांग, नोडल अधिकारी की हो नियुक्ति

लोगो के अनुसार डीडीए के पास इसका पूरा रेकार्ड है कि फ्लैट्स कितने पुराने हो चुके है। डीडीए को इन फ्लैट्स की कंडिशन भी वहा की आरडब्ल्यूए से पता चलती रहती है। ऐसे मे 40 साल से पुराने फ्लैट्स और ऐसे फ्लैट्स जो काफी खराब हालत मे है वहा के लिए एक नोडल अधिकारी को नियुक्त करे। यह नोडल अधिकारी अपने सब ऑफिसर अपॉइंट करे और इसके बाद रीडिवेलपमेंट का काम लोगो के साथ मिलकर शुरू हो।

कम्युनिटी हॉल, क्लब हाउस की हो सुविधा

बिल्डिंग मे पार्किंग की सुविधा नही है। ओपन स्पेस अब गाड़ियो से पूरी तरह भर जाता है। सुबह और शाम के समय तो लोगो को गाड़िया निकालने की जगह तक नही मिलती। इसके अलावा ऊपर की मंजिल मे रहने वाले लोगो को लिफ्ट न होने की वजह से परेशानिया होती है। कोई कम्युनिटी हॉल, क्लब हाउस जैसी सुविधा लोगो के लिए नही है। काफी लोग खराब फ्लैट्स की वजह से दूसरी जगहो पर रहने चले गए है और अपने फ्लैट को किराये पर दे दिया है।

"मरम्मत से अब यहा काम नही चल पा रहा है। बड़ा भूकंप नही बल्कि मॉनसून की तेज बारिश को लेकर भी बिल्डिंग संवेदनशील है। इन फ्लैट्स की स्ट्रक्चरल सेफ्टी कैसे पता चलेगी? कैसे यह फ्लैट्स रीडिवेलप होगे।
-विकास जिंदल, एक्स आरडब्ल्यूए मेंबर

"कई बार मैनटिनेंस करवाने के बाद कुछ ही महीनो मे फिर से दरारे आ रही है। हर पाच साल मे फ्लैट्स की मरम्मत पर लोगो को बड़ा खर्च करवाना पड़ रहा है। ओपन स्पेस तो काफी बेकार हो गया है। कई जगहो पर तो जाने मे डर लगने लगा है। -राजेश शर्मा

"डीडीए फ्लैट्स की लाइफ 50 साल बताता है। 30 साल मे ही इनकी यह हालत हो गई है। ऐसे मे अब इस जगह पर डीडीए को हाईराइज बिल्डिंग बनाने की जरूरत है ताकि जिन लोगो ने फ्लैट्स लिए है वह नई तकनीक से बने बेहतर घरो मे रह सके।
-एस के चावला

"सीढ़ियो, छज्जो के हिस्सो को गिरने से बचाने के लिए गार्टर लगाए गए है। इसके बावजूद वह झड़ रहे है। बिल्डिंग की मेन बिल्डिंग बनने के बाद लोगो ने अपनी जरूरतो के अनुसार मोडिफिकेशन करवाया और इसकी वजह से मुख्य बिल्डिंग का लोड बढ़ गया। -वी के गुप्ता

सवालों के जवाब भी

अगर रीडिवेलपमेंट को लेकर मन मे कोई सवाल है तो उनका जवाब भी हम एक्सपर्टस की मदद से देगे। रीडिवेलपमेंट पर अपनी राय, सुझाव और सवाल आप ईमेल भी कर सकते है। अपना नाम, मोबाइल नंबर और अपने बारे मे जरूरी जानकारी nbtreader@timesgroup.com पर भेज दे। सब्जेक्ट मे Redevelopment जरूर लिखें।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

Hindustan Times

दैनिक जागरण नई दिल्ली, 16 फरवरी, 2024

हिन्दुस्तान नई दिल्ली, शुक्रवार, 16 फरवरी 2024

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

(LAND POOLING CELL)

PUBLIC NOTICE

GOLDEN OPPORTUNITY TO JOIN LAND POOLING IN DELHI

Opening of Application Window for expressing willingness for participation under Land Pooling Policy, 2018

The Landowners of the 105 villages under land pooling policy are hereby informed that the application window for expressing willingness for participation under the Land Pooling Policy, 2018 is open for a period of 90 days i.e. from **01/02/2024 to 30/04/2024.** This opportunity is for the Landowner(s), who have not yet registered or pooled their land parcels to come forward and become partners in the development of the city of Delhi.

As of now, approximately 7,510 Ha. of land have been registered and provisional notices or notices, as the case may be, for the formation of Consortium have been issued for 15 sectors, out of these, a Consortium has been formed in Sector 8B of Zone P-II under land pooling policy.

For resolving the issues and to assist landowners in submitting their application, a help desk has been set up at the O/o Dy. Director (Land Pooling), DDA Office Complex, Opposite TV Tower, Pitampura, Delhi-110088.

*[For any further query, please contact Land Pooling Office, Pitampura, Opposite TV Tower, Delhi-110088 during office hours. (Phone No. 011-20871231, e-mail: **deputydirectorlpdda@gmail.com**).]*

File No. LPCR/F17/0001/2022/LPC/
Place – New Delhi
Date – 01/02/2024

Sd/-
(Commissioner)
Land Pooling

For further details on the Policy/Regulations, please visit:
https://online.dda.org.in/landpooling/AppForm/default.aspx

Link for Registration:
https://online.dda.org.in/landpooling/AppForm/landpoolreg.aspx

Follow us on ddaofficial official dda official dda Official dda
Please visit DDA's Website www.dda.gov.in or dial Toll Free No. 1800110332

दिल्ली विकास प्राधिकरण

(लैंड पूलिंग सेल)

सार्वजनिक सूचना

दिल्ली में लैंड पूलिंग से जुड़ने का सुनहरा अवसर

लैंड पूलिंग पॉलिसी, 2018 के तहत भाग लेने की इच्छा व्यक्त करने के लिए आवेदन विंडो खोली जा रही है

लैंड पूलिंग पॉलिसी के अंतर्गत 105 गाँवों के भू-स्वामियों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि लैंड पूलिंग पॉलिसी, 2018 के अंतर्गत भाग लेने की इच्छा व्यक्त करने के लिए आवेदन विंडो **01/02/2024 से 30/04/2024** तक 90 दिनों की अवधि के लिए खुली है। यह अवसर उन भू-स्वामियों के लिए है, जिन्होंने अभी तक अपनी भूमि का पंजीकरण या पूलिंग नहीं की है कि वे आगे आएं और दिल्ली शहर के विकास में भागीदार बनें।

अब तक, लगभग 7,510 हेक्टेयर भूमि पंजीकृत की जा चुकी है और 15 सेक्टरों के लिए कंसोर्टियम के गठन के लिए अंतरिम नोटिस या नोटिस, सन्दर्भानुसार, जारी किए जा चुके हैं। इनमें से लैंड पूलिंग पॉलिसी, के अंतर्गत जोन पी-2 के सेक्टर 8 बी में एक कंसोर्टियम का गठन किया जा चुका है।

मामलों को हल करने और भू-स्वामियों को अपने आवेदन प्रस्तुत करने में सहायता के उद्देश्य से, उप निदेशक (लैंड पूलिंग) कार्यालय, डीडीए कार्यालय परिसर, टीवी टावर के सामने, पीतमपुरा, दिल्ली-110088, में एक हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है।

*[किसी भी अन्य जानकारी के लिए, कृपया कार्यालय समय के दौरान डीडीए लैंड पूलिंग कार्यालय परिसर, टीवी टावर के सामने, पीतमपुरा, दिल्ली-110088 से संपर्क करें। (फोन नं. - 011-20871231, ईमेल करें **deputydirectorlpdda@gmail.com**).]*

फाइल नं.: - एलपीसीआर/एफ17/0001/2022/एलपीसी
स्थान: - नई दिल्ली
दिनांक: - 01/02/2024

हस्ता/—
आयुक्त
(लैंड पूलिंग)

कृपया नीति/विनियमों के बारे में अधिक जानकारी के लिए निम्नलिखित लिंक देखें:
https://online.dda.org.in/landpooling/AppForm/default.aspx

पंजीकरण के लिए लिंक:
https://online.dda.org.in/landpooling/AppForm/landpoolreg.aspx

हमें फालो करें ddaofficial official dda official dda Official dda
'कृपया दि.वि.प्रा. की वेबसाइट www.dda.org.in देखें अथवा 1800110332 डायल करें'

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

पंजाब केसरी DELHI
16 फरवरी, 2024 शुक्रवार

THE HINDU NAME OF NEWSPAPERS

Centres with 20-plus students told to move to commercial spaces

The Hindu Bureau
NEW DELHI

The Delhi High Court on Thursday said coaching centres in the Capital with more than 20 students should move out of residential areas and operate from commercial spaces.

The High Court, which was hearing a petition filed by the Coaching Federation of India (CFI), observed that students are at high risk at coaching centres operating from residential buildings that do not have the requisite safety infrastructure such as two staircases. "There must be hundreds of students attending your classes. You should not be in a residential building. Where students are more than 20, you must move to a commercial building," the court orally remarked. The CFI had moved the court against the inclusion of coaching centres in the definition of "educational buildings", thus requiring them to employ specific measures for fire safety etc.

In February 2020, the Delhi Development Authority (DDA) had modified its Unified Building Bye-Laws, 2016 (UBBL, 2016), including coaching centres in the definition of "educational buildings". The court is already seized of a case, initiated on it own, after taking cognisance of a fire that broke out at a coaching centre in Mukherjee Nagar in June last year which saw students climbing down the building using ropes. The High Court directed that the CFI petition be listed for hearing on Friday before another Bench dealing with the issue of fire safety at coaching centres while stating that it cannot stay a notification that came out in 2020.

The petitioner's lawyer submitted that under the UBBL, educational institutes are required to have several features, including two staircases, which may not be possible in an already-existing residential building. The plea said there is a distinction between a coaching centre and an educational institute as the latter offers a degree/diploma at the end of a course.

रिहायशी इलाकों में छात्रों की जान को खतरे में डालकर चल रहे कोचिंग संस्थान : हाईकोर्ट

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि 20 से अधिक छात्रों वाले कोचिंग संस्थानों को रिहाएशी इलाकों से हटाया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि ऐसे संस्थानों का संचालन व्यवसायिक परिसरों में होना चाहिए। कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (सीएफआई) की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान पीठ ने टिप्पणी की कि रिहायशी इमारतों से संचालित हो रहे कोचिंग संस्थान छात्रों के जीवन को खतरे में डालकर चल रहे हैं क्योंकि वहां पर आवश्यक सुरक्षा अवसंरचना जैसे उतरने के लिए दो सीढ़ियां नहीं हैं। सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि आपकी कक्षाओं में सैकड़ों छात्र पढ़ रहे होंगे। आपको आवासीय भवन में नहीं होना चाहिए। किसी व्यावसायिक भवन में चले जाएं। खंडपीठ ने आगे कहा कि आप रिहायशी इलाके से संचालन नहीं कर सकते। जहां 20 या इससे अधिक छात्र हैं, रिहायशी इलाके सेचले जाएं। बता दें कि इस मामले में याचिकाकर्ता ने कोर्ट के समक्ष शैक्षिक भवनों की परिभाषा में कोचिंग संस्थानों की इमारत को शामिल करने पर आपत्ति जताई थी। नयी परिभाषा के तहत ऐसी इमारतों में अग्नि सुरक्षा आदि के लिए कुछ विशिष्ट उपायों को अपनाने की आवश्यकता होती है। गौरतलब है कि फरवरी 2020 में, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने अपने एकीकृत भवन उपनियम-2016 (यूबीबीएल-2016) को संशोधित किया।

लैंड पूलिंग में शामिल होने के लिए किसानों को मिला बड़ा अवसर

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने अपनी महत्वकांक्षी लैंड पूलिंग स्कीम से जुड़ने के लिए किसानों को एक नया अवसर दिया है। इस संबंध में डीडीए ने एक नोटिस जार किया है। इस नोटिस में कहा गया है कि लैंड पूलिंग पॉलिसी 2018 के तहत भाग लेने की इच्छा व्यक्त करने के लिए आवेदन विंडो खोली जा रही है। ऐसे में किसान आगे आकर दिल्ली के विकास में साझीदार बनें। नोटिस में कहा गया है कि 105 गांव के भू स्वामियों को लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत आवेदन करने के लिए विंडो 1 फरवरी 2024 से 30 अप्रैल 2024 तक 90 दिनों की अवधि के लिए खुली है। यह अवसर उन भू स्वामियों के लिए है जिन्होंने अभी तक अपनी भूमिका का पंजीकरण या पुलिंग नहीं की है। लैंड पूलिंग के तहत अब तक लगभग 7510 हेक्टेयर भूमि पंजीकृत की जा चुकी है और 15 सेक्टरों के लिए कंसोर्टियम के गठन के लिए अंतरिम नोटिस या नोटिस जारी किए जा चुके हैं। इनमें से लैंड पूलिंग पॉलिसी के अंतर्गत जॉन पी 2 के सेक्टर 8 में एक कंसोर्टियम का गठन किया जा चुका है।

डीडीए ने रिज क्षेत्र में मदरसा विध्वंस पर रोक हटाने की मांग की, हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): दिल्ली हाईकोर्ट ने धौला कुआं में रिज क्षेत्र में शाही मदरसा और कब्रिस्तान कंगाल शाह के विध्वंस पर रोक हटाने की मांग करने वाली डीडीए की याचिका पर नोटिस जारी किया है। इस मामले में जस्टिस सचिन दत्ता ने प्रबंध समिति को दस दिन में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई अब 29 फरवरी को होगी। दरअसल दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने एक आवेदन दायर कर धौला कुआं में शाही मदरसा और कब्रिस्तान कंगाल शाह के खिलाफ किसी भी कठोर कदम पर रोक लगाने की मांग की है। सुनवाई के दौरान जस्टिस दत्ता ने डीडीए के वकील से पूछा कि आप किस प्रावधान के तहत लंबे समय से वहां मौजूद किसी ढांचे को गिरा सकते हैं।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS पंजाब केसरी DELHI 16 फरवरी, 2024 ▶ शुक्रवार

दिल्ली विकास प्राधिकरण

(लैंड पूलिंग सेल)

सार्वजनिक सूचना

दिल्ली में लैंड पूलिंग से जुड़ने का सुनहरा अवसर

लैंड पूलिंग पॉलिसी, 2018 के तहत भाग लेने की इच्छा व्यक्त करने के लिए आवेदन विंडो खोली जा रही है

लैंड पूलिंग पॉलिसी के अंतर्गत **105** गाँवों के भू-स्वामियों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि लैंड पूलिंग पॉलिसी, 2018 के अंतर्गत भाग लेने की इच्छा व्यक्त करने के लिए आवेदन विंडो **01/02/2024 से 30/04/2024** तक 90 दिनों की अवधि के लिए खुली है। यह अवसर उन भू-स्वामियों के लिए है, जिन्होंने अभी तक अपनी भूमि का पंजीकरण या पूलिंग नहीं की है कि वे आगे आएं और दिल्ली शहर के विकास में भागीदार बनें।

अब तक, लगभग 7,510 हेक्टेयर भूमि पंजीकृत की जा चुकी है और 15 सेक्टरों के लिए कंसोर्टियम के गठन के लिए अंतरिम नोटिस या नोटिस, सन्दर्भानुसार, जारी किए जा चुके हैं। इनमें से लैंड पूलिंग पॉलिसी, के अंतर्गत जोन पी-2 के सेक्टर 8 बी में एक कंसोर्टियम का गठन किया जा चुका है।

मामलों को हल करने और भू-स्वामियों को अपने आवेदन प्रस्तुत करने में सहायता के उद्देश्य से, उप निदेशक (लैंड पूलिंग) कार्यालय, डीडीए कार्यालय परिसर, टीवी टावर के सामने, पीतमपुरा, दिल्ली-110088, में एक हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है।

[किसी भी अन्य जानकारी के लिए, कृपया कार्यालय समय के दौरान डीडीए लैंड पूलिंग कार्यालय परिसर, टीवी टावर के सामने, पीतमपुरा, दिल्ली-110088 से संपर्क करें। (फोन नं. - 011-20871231, ईमेल करें deputydirectorlpdda@gmail.com).]

फाइल नं.: - एलपीसीआर/एफ17/0001/2022/एलपीसी
स्थान: - नई दिल्ली
दिनांक: - 01/02/2024

हस्ता/–
आयुक्त
(लैंड पूलिंग)

कृपया नीति/विनियमों के बारे में अधिक जानकारी के लिए निम्नलिखित लिंक देखें:
https://online.dda.org.in/landpooling/AppForm/default.aspx

पंजीकरण के लिए लिंक:
https://online.dda.org.in/landpooling/AppForm/landpoolreg.aspx

हमें फॉलो करें ddaofficial official dda official dda Official dda

'कृपया दि.वि.प्रा. की वेबसाइट www.dda.org.in देखें अथवा 1800110332 डायल करें'